

### विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

# कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 1०० दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया । स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 1५ दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी ।

। लोग पीड़ी दर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी।

यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2००5 बनाया। 2०09 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6००0 करोड रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी । केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 1५ दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 4० प्रतिशत से अधिक न हो एवं 6० प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 1० प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 4० प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 1० प्रतिशत से भी कम भुगतान पडता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं । कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया । उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंरो सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंरो गाड़ी खरीद ली थी । भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था । सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2००9 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 1५ दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित करवाया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजान में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरी में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल

ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी । भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

2००5 से 202५ तक लगभग 2०

वर्ष तक नरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए ;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 1५.५ करोड जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 1२ करोड लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 2०० करोड मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 1०० दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 4५ दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 1०० दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 1२५ दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2०1५ में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 1० वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संस्था बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं । वह इस योजना के अंतर्गत 4० प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे ? अब तक राज्यों पर 1० प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पडता था जो बढ़कर अचानक 4० प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 4० प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए ।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि श्रष्टों को तोड मरोड करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख,राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू,राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है । यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों की केंद्रीकरण कर दिया है । इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है । इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 7०० किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत ( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )

# अरावली पर न्याय का संदेश : संरक्षण जिम्मेदारी का संतुलन



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग ६५० किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1९९० के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2००९ में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2०2४ में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थाओं द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 2० नवंबर 2०25 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 1०० मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 1०० मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2००5 को 1०० मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 1०० मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे ५०० मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस ५०० मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 1०० मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का ९८ प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि ९० प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

## 81४वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह

## पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



**केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।**

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूँ, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरूद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री को स्वागत कर दस्तारबंदी कर उस की मुबारक दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री

2०47 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु,

## जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

■ **पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए**

स्टेट्स एस्प्लिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग

**मेघ**
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुसमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

**वृष**
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

**मिथुन**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

**चर**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**कर्क**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**कर्क**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**सिंह**
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**कन्या**
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

**तुला**
घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृश्चिक**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

लगाई गई।

एग्म के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि इस अंगदान से दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। ट्रांसप्लांट के नोडल अधिकारी दो शिवचरण ने बताया कि ऑर्गन डोनेट करने के बाद पांच से छह घंटे में लगाना जरूरी होता है, इसलिए लिवर को फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया।

**मकर**
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।

**कुंभ**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अंगरंग कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मीन**
अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

■ **केंद्रीय मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे अजमेर, बुलंद दरवाजे पर पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया**

एसपी वंदिता राणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताण पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमय ने लंघन शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।